डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2021/HQ/Admin/RTI-844 **New Delhi: 17.08.2021**

श्रीमती रानी देवी
पत्नी श्री संजय सोलंकी
निवासी ग्राम व पोस्ट खबरा
तहसील- खुर्जा, जिला- बुलंदशहर
उत्तर प्रदेश
मोबाइल-7465072078,7351632323

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 19.07.2021, जो मुख्य महाप्रबंधक/ मेरठ, के कार्यालय में दिनांक 26.07.2021 को एवं इस कार्यालय में दिनांक 09.08.2021 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त सूचना संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिनका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिब्बर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 02 पृष्ठ

17.08.2021

(एस. के. राय)
उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
011-23454707

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालपांचवा तल :, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्पेलक्स, नई दिल्ली 110001 -
Regd. & Corporate Office: 5th Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001
Tel: 91 - 11+23454700, Fax No. 91-11-23454701 Web :www.dfccil.com, CIN :U60232DL2006GOI155068

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

पत्रांकः एमटीसी / ईएन / आर0टी0आई0 / भाग–8 दिनांकः 07.08.2021

डिप्टी जी0एम0 / एडमीन (पी0आई0ओ0)
कॉरपोरेट ऑफिस डीएफसीसीआईएल
प्रगति मैदान, नई दिल्ली।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

संदर्भः आवेदनकर्ता श्रीमति रानी देवी पत्नि श्री संजय सोलंकी निवासी ग्राम व पोस्ट खबरा, तहसील–खुर्जा, बुलन्दशहर, मौ0 नं0 7465072078, 7351632323 दिनांक–19.07.2021 (प्राप्ति दिनांक–26.07.2021)।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आवेदनकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत निम्नवत्त है।

क0 सं0	चाही गयी सूचना	उपलब्ध करायी जा रही सूचना
1	आवेदनकर्ता का ग्राम बैर बादशाहपुर तहसील सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर में खेत नं0 1205 में एक आवासीय प्लाट है। क्या आवेदनकर्ता के प्लाट का अधिग्रहण किया गया है। यदि अधिग्रहण किया गया है तो कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। और कितनी भूमि शेष बची है।	ग्राम बैर बादशाहपुर परगना व तहसील सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर में अपरजिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा अभिनिर्णय दिनांक 04.01.2019 के अनुसार गाटा संख्या 1205 में से 0.0450 हे0 भूमि अर्जित किया गया, जिसमें प्रार्थी की भूमि शामिल है। शेष बची भूमि 0.580 हे0 है।
2	क्या शेष बची भूमि को कोई रास्ता दिया गया है अथवा नही?	गाटा संख्या–1205 के दोनो तरफ पूर्व में ही रास्ता (चकमार्ग या पक्की सडक) मौजूद है, (सजरा संलग्न है)।
3	यदि रास्ता दिया गया है तो कितनी चौडाई व लम्बाई है यदि रास्ता नही दिया गया है तो किस कारण नही दिया गया है?	बिन्दु संख्या–02 के अनुसार चुंकि गाटा संख्या–1205 के दोनों तरफ पूर्व में ही रास्ता (चकमार्ग) व पक्की सड़क मौजुद है तो अलग से कोई अन्य रास्ता नही दिया जा रहा है।
4	यदि किसी कारण वश रास्ता नही दिया गया है तो आवेदनकर्ता की शेष बची भूमि का मुआवजा डी.एफ.सी.सी.आई.एल. द्वारा दिया जाना कानूनी है स्पष्ट उल्लेख सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानें का कष्ट करें।	डी.एफ.सी. परियोजना से अवशेष बची भूमि के लिये रास्ता ना देने के कारण भूमि का अधिग्रहण / मुआवजा देने का रेल संशोधन अधिनिमय 2008 के अन्तर्गत कोई प्राविधान नही है।

संलग्नकः आवेदनकर्ता का प्रार्थना पत्र।

(महावीर सिंह)
उप. जनसूचना अधिकारी /
उप.परियोजना प्रबंधक / विद्युत

(2)

ग्राम - बैरमाबादशाह.पुर
तहसील - सिकन्दराबाद
जिला - बुलन्दशहर

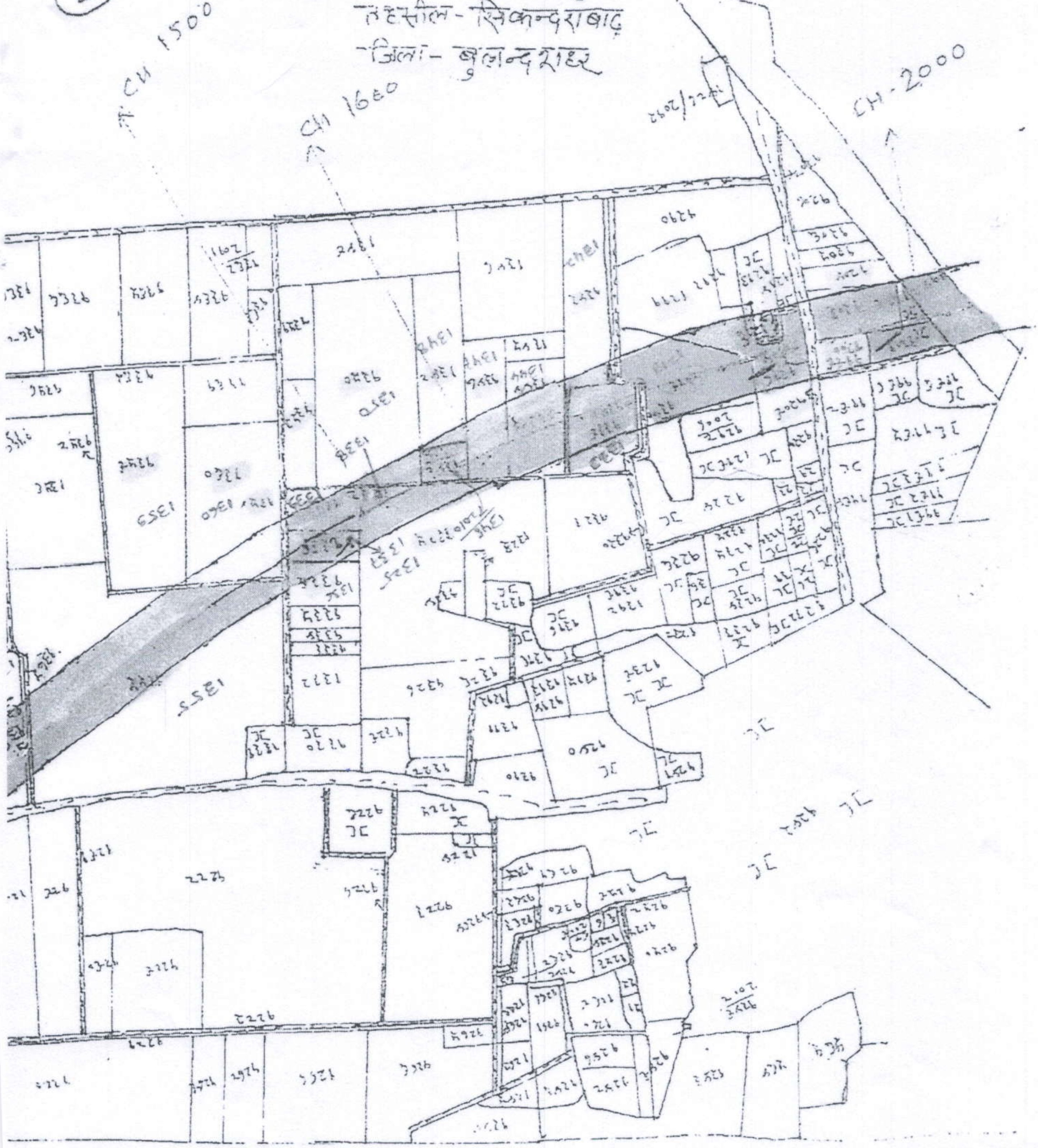

14/1/09
Project Manager
परियोजना प्रबन्धक
एफ०सी०सी०आई०एल०

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(संयुक्त संगठन) बुलन्दशहर

सक्षम अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
बुलन्दशहर